सितंबर-अक्तूबर में भूमि पूजन समारोह, निवेशकों को समय से भूमि व एनओसी दें

मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सरकार सितंबर-अक्तूबर में भूमि पूजन समारोह कराएगी। लिहाजा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू को प्रभावी बनाने के लिए हर निवेशक से संवाद बनाएं। उन्हें जरूरत के अनुसार भूमि और समय से एनओसी दी जाए। ऐसे एमओयू को चिह्नित किए जाएं, जो समारोह के लिए तैयार हों। मुख्य सचिव ने ये निर्देश बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 20 अप्रैल तक पहली बैठक कर ली जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए अधिकारी सक्रिय होकर काम करें। गत वर्ष जिन स्थानों पर पेयजल की समस्या हुई थी, उसकी कार्ययोजना बनाएं। पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर लें। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल, कॉलेज आदि पर प्याऊ लगवाएं। लू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें।

■ कहा- हर गांव, हर घर तक पेयजल पहुंचाएं, गोवंशों के लिए भी हो आवश्यक व्यवस्थाएं

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। -विज्ञप्ति

सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर खरीद सकेंगे ई-व्हीकल

लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर ईवी खरीद सकते हैं। इसके लिए अधिकतम खर्च तय सीमा से अधिक किया जा सकता है। कहा कि लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन शुरू हो जाएं। मुख्य सचिव ने कहा है कि शासकीय आयोजन के लिए वाहनों के क्रय पर प्रचलित ऊपरी अधिकतम सीमा को शिथिल किया जाए। चूंकि अभी तक सरकारी वाहनों की खरीद जेम पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होती थी, लेकिन ईवी कंपनियां इससे रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसीलिए पॉलिसी में व्यवस्था दी गई है। खरीद सरकारी अभिकरणों जैसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लि. व एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) आदि से बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर की जा सकती है। वहीं सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को वाहनों के लिए दिए जाने वाले एडवांस में भी ईवी को शामिल किया जाए। कार, स्कूटर या बाइक खरीदने के लिए यह अग्रिम राशि अलग-अलग निर्धारित है। ब्यूरो

छुट्टा पशु छोड़ने पर मालिकों पर जुर्माना लगाने का फरमान

मुख्य सचिव ने गौ-आश्रय स्थलों में पानी, शेड, भूसा गोदाम, छायादार पौधे व साफ-सफाई के निर्देश दिए। मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ने वाले पशु मालिकों पर जुर्माना लगाएं। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थलों के मवेशियों की ईयर टैगिंग 22 अप्रैल तक पूरी करें। मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं क्रय केंद्र क्रियाशील रहे और पोर्टल से किसानों का पंजीकरण शतप्रतिशत किया जाए।

मोटे अनाज और पंचायत ऑफिस का प्रस्तुतिकरण

बैठक में मंडलायुक्त प्रयागराज ने पंचायत ऑफिस : ग्रास रूट पब्लिक सर्विस सेंटर पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, पुलिस व अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इससे गांव के लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता है। इसको मुख्य सचिव ने प्रशंसा की और पंचायत भवन में लाइब्रेरी बनाने का भी सुझाव दिया। जिलाधिकारी रायबरेली ने मोटे अनाज पर प्रस्तुतिकरण दिया।